

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-168/2026 दिनांक 17.06.2026)
***दिनांक-17.06.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा तस्करी कर बध हेतु ले जायी जा रही 02 गोवंश, एक अदद संशोधित बोलेरो वाहन, बांका एवं लकड़ी का ठीहा इत्यादि के साथ 02 गो-तस्करों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में गोवंशीय पशुओं की तस्करी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.06.2026 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा थाना पटहेरवा क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1-नबी हसन अंसारी पुत्र मुस्तफा, निवासी- दहवा, थाना धनहा, जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार, 2-मखलूक अंसारी उर्फ भुट्टू पुत्र मुस्तफा, निवासी- दहवा, थाना धनहा, जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार को 02 राशि गोवंशीय बछड़े, 01 संशोधित बोलेरो (रजि. नं. UP57D0090), 01 लकड़ी का ठीहा, 02 बांका तथा 01 चाकू बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-183/2026 धारा: 3/5/5ए/8 गोवध अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त मुकदमे में दिनांक 16.06.2026 को 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछ-ताछ में बताया कि हम लोगों का एक संगठित गिरोह है। हम दोनों बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले के रहने वाले हैं। इनके द्वारा कुशीनगर-बिहार सीमा से सटे क्षेत्रों में घूमने वाले छुट्टा गोवंशीय पशुओं को चोरी कर रात्रि के समय पैदल बिहार ले जाते हैं और वहाँ इन पशुओं का वध कर मांस बेचा जाता है। इससे अर्जित रुपयों को आपस में बांट लेते हैं।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-183/2026 धारा: 3/5/5ए/8 गोवध अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पटहेरवा, जनपद कुशीनगर



गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1-नबी हसन अंसारी पुत्र मुस्तफा, निवासी- दहवा, थाना धनहा, जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार
- 2-मखलूक अंसारी उर्फ भुट्टू पुत्र मुस्तफा, निवासी- दहवा, थाना धनहा, जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार

अभियुक्त नबी हसन अंसारी का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 29/2011 (धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम), थाना जटहाँ बाजार, कुशीनगर
- 2-मु0अ0सं0 227/2011 (धारा 41/411/413 भादवि व गोवध अधिनियम), थाना जटहाँ बाजार, कुशीनगर

अभियुक्त मखलूक अंसारी उर्फ भुट्टू का अपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 213/2025 (धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम), थाना श्यामदेउरवां, कुशीनगर

विवरण बरामदगी:-

- 1-दो राशि गोवंशीय बछड़ा
- 2-एक अदद संशोधित बोलेरो (UP57D0090)
- 3-एक लकड़ी का ठीहा
- 4- दो अदद बांका
- 5- एक अदद अवैध चाकू

बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष धीरेन्द्र राय थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 2-उ0नि0 श्रवण कुमार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 3-उ0नि0 रामप्रवेश सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 4-उ0नि0 अनुराग यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 5-उ0नि0 सच्चिदानंद यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 6-का0 अल्तमस थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 7-रि0का0 गौतम यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 8-रि0का0 सौरभ मौर्या थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 9-रि0का0 अजीत चौहान थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।

थाना अहिरौलीबाजार पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमों में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे

अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.06.2026 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 186/2025 धारा 307, 317(4), 317(5) बीएनएस व मु0अ0सं0 202/2025 धारा 305(a), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर में वांछित चल रहे अभियुक्त अब्दुल रहीम उर्फ जगू पुत्र रिशाद अली उर्फ इरशाद अली साकिन बेन्दुआर माफी टोला थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है। गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 19/2024 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

2-मु0अ0सं0 286/2024 धारा 110, 115(2), 117(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

3-मु0अ0सं0 186/2025 धारा 307, 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

4-मु0अ0सं0 202/2025 धारा 305ए, 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

5-मु0अ0सं0 460/2025 धारा 305ए, 317(2), 317(4), 317(5), 331(4) बीएनएस थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर।

6-मु0अ0सं0 16/2025 धारा 305ए, 317(2), 317(4), 331(4) बीएनएस थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अब्दुल रहीम उर्फ जगू पुत्र रिशाद अली उर्फ इरशाद अली साकिन बेन्दुआर माफी टोला थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-थानाध्यक्ष प्रविन्द राय थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

2-उ0नि0 राजनारायन यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

3-हे0का0 अखिलेश यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

4-का0 विनय यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमों में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.06.2026 को थाना हनुमानगंज

पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 106/2026 धारा 64/115(2)/352/351(3) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 01. करन पुत्र नगीना निवासी बोधी छपरा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 106/2026 धारा 64/115(2)/352/351(3) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त -

1-करन पुत्र नगीना निवासी बोधी छपरा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक दिग्विजय नारायण राय थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 2.उ0नि0 संतोष यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 3.हे0का0 संतोष कुमार थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 4.का0 अतुल यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा चोरी की 03 अदद मोटर साइकिल के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.06.2026 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा को0 पडरौना क्षेत्र से वाहन चोरी में अभ्यस्त अभियुक्त पन्नेलाल उर्फ पन्नालाल यादव पुत्र भृगुराशन निवासी बेलवा चुंगी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बारमदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 332/2026 धारा 317(2),317(4),341(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

पन्नेलाल उर्फ पन्नालाल यादव पुत्र भृगुराशन निवासी बेलवा चुंगी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 1318/2011 धारा 376 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
02. मु0अ0सं0 676/2017 धारा 379 भा0द0वि0 थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
03. मु0अ0सं0 681/2017 धारा 379 भा0द0वि0 थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
04. मु0अ0सं0 691/2017 धारा 379 भा0द0वि0 थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
05. मु0अ0सं0 714/2017 धारा 41/411/414 भा0द0वि0 थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
06. मु0अ0सं0 381/2018 धारा 411/413/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
07. मु0अ0सं0 382/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना नेबुआ नौरंगिया पडरौना जनपद कुशीनगर
08. मु0अ0सं0 253/2020 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
09. मु0अ0सं0 272/2022 धारा 380/457/411 भा0द0वि0 थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
10. मु0अ0सं0 387/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
11. मु0अ0सं0 332/2026 धारा 317(2),317(4),341(2) बी0एन0एस0 थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
12. मु0अ0सं0 200/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
13. मु0अ0सं0 33/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
14. मु0अ0सं0 121/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
15. मु0अ0सं0 173/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
16. मु0अ0सं0 289/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण:—

कीमत करीब 03 लाख रूपये

01. मो0सा0 संख्या BR 22 BC 6133 स्पेलेन्डर प्लस

02. मो0सा0 संख्या UP 52 W 4152 सीडी डिलक्स

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम--

1. प्र0नि0 श्री ओमप्रकाश तिवारी थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 महेन्द्र मोहन मिश्रा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 विवेक अवस्थी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
5. उ0नि0 अभय कुमार थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
6. म0उ0नि0 प्रगति जायसवाल चौकी प्रभारी रेलवे थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
7. का0 रविप्रकाश सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
8. का0 मनोज यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा चोरी की एक लैपटाप के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 16.06.2026 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 103/2026 से संबंधित चोरी की एक लैपटाप के साथ 01 नफर अभियुक्त राजीव जायसवाल उर्फ राजू पुत्र स्व0 हरक चन्द जायवाल निवासी भटवलिया नं0- 1 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 103/2026 धारा 305,331(4),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजीव जायसवाल उर्फ राजू पुत्र स्व0 हरक चन्द जायवाल निवासी भटवलिया नं0- 1 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण:—

एक अदद लैपटाप M.S.I. कम्पनी का मय चार्जर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम--

1. प्र0नि0 श्री ओमप्रकाश तिवारी थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

3. का0 विकास कुमार थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना कसया पुलिस द्वारा अपहरण के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 16.06.2026 को थाना कसया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0071/2026 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बशरूद्दीन पुत्र नबी मोहम्मद निवासी ब्रम्हपुर थाना झंगहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 0071/2026 धारा 137(2) बीएनएस थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

बशरूद्दीन पुत्र नबी मोहम्मद निवासी ब्रम्हपुर थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- प्र0नि0 आशुतोष सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 2- उ0नि0 जयप्रकाश थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 3- रि0म0का0 अरुणिमा पटेल थाना कसया जनपद कुशीनगर

थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

जनपद कुशीनगर में वांछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.06.2026 को थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मु0नं0 व धारा-

मु0सं0 1740/2020 धारा 323,504,506 भादवि

गिरफ्तार वारण्टी-

प्रमोद पुत्र शिवराज साकिन लिलहट थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० ब्रह्मा कुमार उपाध्याय मय हमराह बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
3. का० भैरव जायसवाल थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट आदि के मामले में वांछित 01 नफर बाल अपचारी अभिरक्षा में-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.06.2026 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 192/2026 धारा 65(1)/115(2)/351(3)/352 बीएनएस व ३/४(2) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं०.192/2026 धारा 65(1)/115(2)/351(3)/352 बीएनएस व ३/४(2) पाक्सो एक्ट

अभिरक्षा में बाल अपचारी-

01 नफर बाल अपचारी

अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम-

- 1-SHO चन्द्रभूषण प्रजापति थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर
- 2-अ०नि० राजेश कुमार थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर
- 3-का० जगमोहन यादव थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर
- 4-का० पंकज यादव थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर

थाना विशुनपुरा पर आबकारी एक्ट के तहत वर्ष 2023,2024 व 2025 के कुल 87 मुकदमों में बरामद अवैध अंग्रेजी व कच्ची शराब आदि कुल 1178 लीटर (कुल कीमत लगभग 5 लाख 65 हजार रुपये) को मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में नष्ट किया गया-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार द्वारा समस्त थाना प्रभारी को अपने-अपने मालखाने पर आबकारी अधिनियम के तहत बरामद की गयी अवैध शराबों को यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा के

पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जयन्त कुमार यादव के नेतृत्व में, थानाध्यक्ष थाना विशुनपुरा द्वारा थाना विशुनपुरा पर वर्ष 2023,2024,2025 के कुल 87 मुकदमों में बरामद अवैध अंग्रेजी व देशी व कच्ची शराब को नष्ट कराने का आदेश प्राप्त किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 17.06.2026 को ए० पी०ओ० श्री. धवल प्रताप शाही कसया कुशीनगर, लिपिक श्री सुरेश यादव न्यायालय कसया, तथा थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्रा थाना विशुनपुरा, श्री अभिषेक कुमार आबकरी निरीक्षक कुशीनगर, व०उ०नि० संतोष कुमार सिंह, हे०मो० अजय कुमार यादव, पैरोकार का० संजय पाल आदि की उपस्थिति में थाना परिसर में जे०सी०बी० से गढ़ा खुदवा कर कुल 87 मुकदमों में बरामद अवैध देशी व कच्ची तथा अंग्रेजी शराब को गढ़े में डलवाकर ऊपर से मिट्टी डालकर नष्ट करवाया गया। नष्ट किये गये कुल माल 87 मुकदमा तथा 1178 लीटर शराब कुल कीमत लगभग 05 लाख 65 हजार रुपये है।

जिनके उपस्थिति में मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अवैध शराब नष्ट किया गया-

- 1-श्री जयन्त यादव श्रीमान् क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 2-ए०पी०ओ० श्री धवल प्रताप शाही कसया कुशीनगर
- 3-श्री महेश कुमार, तससीलदार तमकुहीराज कुशीनगर
- 4-थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्रा थाना विशुनपुरा, कुशीनगर
- 5-आबकारी निरीक्षक श्री अभिषेक चौहान कुशीनगर
- 6-व०उ०नि० श्री संतोष कुमार सिंह थाना विशुनपुरा कुशीनगर
- 7-हे०मो० अजय कुमार यादव थाना विशुनपुरा कुशीनगर
- 8-लिपिक श्री सुरेश यादव मा० न्यायालय कसया कुशीनगर
- 9-पैरोकार का० संजय पाल थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

डायल-112 के पुलिस कर्मियों के साथ ड्यूटी के दौरान मार-पीट व हमला करने वाले नामित अभियुक्तों में से 02 अभियुक्तों को 01 घण्टे के अन्दर ही किया गया गिरफ्तार, शेष की गिरफ्तारी के प्रयास-

आज दिनांक 17.06.2026 को प्रातः लगभग 10:35 बजे पीआरवी वाहन संख्या 2514 पर थाना कोतवाली, पडरौना की पुलिस टीम को एवेन्ट संख्या 09638 पर ग्राम प्रधान जमशेद अख्तर द्वारा सूचना दी गई कि उनके गांव बिन्दवलिया में दो पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। सूचना प्राप्त होते ही चालक मो० यूनुस एवं म०आ० आरजू प्रसाद सहित पीआरवी टीम तुरंत घटनास्थल बिन्दवलिया गांव की मस्जिद के पास पहुंची। वहां ग्राम प्रधान से घटना की जानकारी ले रहे थे, तभी कैफ रजा

पुत्र जुल्फकार अली व उसके साथ अन्य लोगों ने बिना किसी उकसावे के पुलिस टीम से अनावश्यक उलझना शुरू कर दिया। जब पीआरवी टीम के एक पुलिसकर्मी द्वारा घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया गया तो आरोपीगण एकजुट होकर मोबाइल छीनकर फेंक दिए। इसके बाद आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला बोल दिया।

घटना की सूचना मिलते ही थानास्थानीय की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। तब तक आरोपीगण मौके से फरार हो चुके थे। घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल चिकित्सालय पहुंचाकर उचित इलाज कराया गया। पीआरवी प्रभारी द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली, पडरौना में मु0अ0सं0 333/2026 दिनांक 17.06.2026 के अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 109, 115(2), 351(3), 352, 121(1), 132 बीएनएस एवं 7 सीएलए एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।

वर्तमान स्थिति: विवेचना के दौरान दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी।

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 51 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 98 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-61, व्यक्ति-200
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(10)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल61)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

